राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

व्यावसायिक शिक्षा योजना

स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत अनुमोदित विद्यालयों हेतु

हमारा उद्देश्य : कौशल भारत–कुशल भारत

दिशा–निर्देश

सत्र 2023–24

समग्र शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन के सरलीकरण में मील का पत्थर

'व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि'

- गेस्ट लेक्चर
- स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन
- औद्योगिक भ्रमण
- प्लेसमेंट ड्राइव (आउटरिच)
- ऑन जॉब ट्रेनिग/इन्टर्न शिप
- एक्सपोज़र विजिट

अब इनके बारे में जानने के लिए वीडियो देखें और शेयर करें

@rajeduofficial | @rajeduofficial | @rajeduofficial

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	व्यावसायिक शिक्षा योजना – परिचय	1-2
2	योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थायें व उनके कार्य	2-5
3	योजना के मुख्य बिन्दु	6-7
4	व्यावसायिक शिक्षा विषय के अध्ययन की योजना तथा परीक्षा व मूल्यांकन	8-9
5	AWP & B 2023-24 में अनुमोदित बजट प्रावधान एवं व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश	10-13
AWP & B 2023-24 में अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश–		
6	गेस्ट लेक्चर	14-15
7	ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप	16-18
8	प्लेसमेंट ड्राइव (आउटरीच)	19-20
9	Exposure to Vocational Education (Class 6 to 8)	21-24
10	Raw Material, Maintenance of Tools	25
11	Office Expenses/Contingencies for School	26
12	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	27-28
13	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय के कार्य एवं उत्तरदायित्व	29
14	संस्था प्रधान के कार्य एवं उत्तरदायित्व	30-34
15	कौशल मित्र–भूमिका और उत्तरदायित्व	35-36
16	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	37-38
17	व्यावसायिक प्रशिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	39-41
18	स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	42-43
19	व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र–अ	44-45
20	स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र–ब	46-47
21	मानदेय पुनर्भरण व अन्य व्यय के भुगतान संबधित दिशा–निर्देश	48-50

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय तल, राजीव गान्धी विद्या भवन, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2715548, 2709846 E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/व्या.शि./STARS-OoSC/दिशा–निर्देश/2023–24/ 6216 **दिनांक** 20 /10 /2023

स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश सत्र 2023–24

अवधारणा –

वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020) में वर्णित दिशा–निर्देशों के बिन्दु 3.5 व 16.8 अनुसार स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत सीखने के विभिन्न अवसर उपलब्ध हो सके। राष्ट्र के उन युवाओं के लिए जो कि किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सके है अथवा ड्रॉप आउट हो चुके है, एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के सीखने की आवश्यकता को पूरा करने व उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाये। साथ ही उनकों शिक्षा की मुख्य धारा/औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS) से जोड़ा जाना है।

उद्देश्य –

1. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।
2. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्म निर्भर बनाना।
3. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ते हुए ड्रॉप आउट रेट (Drop Out Rate) कम कर ठहराव सुनिश्चित करना।
4. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विशेषकर अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आत्मनिर्भर बनाना।

Signature valid

RajKaj Ref 4937235

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

राज्य में योजना क्रियान्वति के चरण–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत राज्य के 18 जिलों के 57 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (50 ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एवं 07 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों) स्थापित कर 07 सेक्टर यथा IT/ITes, Healthcare, Beauty & Wellness, Retail, Apparel Made-ups and Home Furnishings, Plumber व Telecom में योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2023–24 हेतु राज्य मे नवीन 100 ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद्यालयों हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्र 2023–24 में कुल 150 विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए एवं 7 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा। वर्तमान सत्र तक संचालित व अनुमोदित विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	शैक्षणिक वर्ष	विद्यालयों की कुल संख्या	जिलों की संख्या	सेक्टर की संख्या	विशेष विवरण
1	2022-23	50 (OoSC)	15	7	Approved Sector for OoSC - IT/ITes, Healthcare, Beauty & Wellness, Retail, Apparel Made-ups and Home Furnishings, Plumber and Telecom.
2	2022-23	7 (CWSN school)	06	2	• 7 CWSN schools were approved in 06 districts. • Approved Sector- IT-ITeS and Beauty and Wellness
3	2023-24	150 (OoSC) + 07 (CWSN)	24	12	• 100 new schools for OoSC approved in 2023-24 • 50 existing again approved for OoSC and 9th class regular student in the same schools (2023-24) • 07 CWSN schools were again approved for 2023-24

योजना क्रियान्वयन में सहयोगी विभिन्न संस्थायें व उनके कार्य

1. शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार, नई दिल्ली

1. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिक्षेत्र में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना का अनुमोदन करना।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों तथा ट्रेड/सेक्टर का अन्तिम रूप से अनुमोदन करना।

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCScE), जयपुर :

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य स्तर की संस्था है जिसके माध्यम से जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

a. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन करना।
b. जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा संचालन हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।
c. योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन कर उन्हे योजना संचालन हेतु विद्यालयों का आवंटन एवं दिशा–निर्देश जारी करना।
d. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना।

3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) नई दिल्ली :-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत/अधिकृत संस्था है, जो योजना क्रियान्वयन के संबंध मे राज्यों को निम्नानुसार सहयोग प्रदान करती हैः–

1) सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में।
2) राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण समिति (VETC) में तकनीकी रूप से सहयोग करना व सेक्टर से सम्बन्धित सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
3) विद्यालयों के आस–पास उद्योगों की उपलब्धता व रोजगार की संभावनाओं की मेंपिग करना।
4) सेक्टर से संबंधित प्रायोगिक कार्य हेतु सम्बन्धित SSC से समन्वय कर परीक्षक (Accessor) उपलब्ध कराना।
5) विद्यार्थियों के मूल्याकंन एवं प्रमाण पत्र के संबंध में सहयोग प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ;NCERTद्ध नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपालः–

पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली की एक प्रमुख संवैधानिक इकाई हैं। यह योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों को निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करती हैः–

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

1. राज्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर से सम्बन्धित जॉब रोल, पाठ्यक्रम निर्माण व Module निर्माण करना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता निर्धारित करना।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षको व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला हेतु टूल्स, उपकरण तथा फर्नीचर के मापदण्ड (Specifications) का निर्धारण करना।
5. व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तके अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराना।

5. सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC`s)

सेक्टर स्किल काउंसिल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ;NSDC) से सम्बद्धता प्राप्त सेक्टर वाईज संस्थाऐं हैं।

1. विद्यालयों में ट्रेड/सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री के Specifications तैयार करने में राज्यों की सहायता करना, साथ ही विषय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित सेक्टर के संदर्भ व्यक्ति (Resource Person) उपलब्ध कराना।
2. विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक मूल्यांकन करना तथा प्रमाण पत्र जारी करना।

6. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (RSTB), जयपुर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली/पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ;PSSCIVE) भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न ट्रेड/सेक्टर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य करना तथा मुद्रित सामग्री जिलों के डिपो तक पंहुचाना।

7. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, (RSCERT), उदयपुर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का State Curriculum Framework (SCF) तथा Online Training Module तैयार करना।

8. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), जयपुर

व्यावसायिक विद्यालयों में नामित कौशल मित्रों के कौशल विकास हेतु आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

9. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS), जयपुर

व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षण हेतु नामांकित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन/अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों के साथ परामर्श व मार्गदर्शन कर अभ्यर्थियों को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS), जयपुर में कक्षा 8/10/12 में प्रवेश हेतु प्रेरित करना। राज्य में स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों के आवेदन हेतु संचालित सन्दर्भ विद्यालयों की सूची संलग्न है।

10.व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP)

योजना संचालन हेतु चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ट्रेडवार आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करना।

स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु अनुमोदित सेक्टर व जॉब रोल की सूची –

List of sectors with Job role

S.NO	Sectors	Job Role
1	Apparel made-ups & home furnishing	Sewing Machine Operator
2	Beauty & Wellness	Assistant Beauty Therapist
3	Health Care	Home health Aid
4	IT / ITES	Domestic Data Entry operator
5	Retail	Cashier
6	Telecom	Optical Fiber Splicer
7	Plumber	Plumber (General)
8	Agriculture	Dairy Worker
9	Automotive	Four-Wheeler Service Assistant 3 (V-2.0)
10	Electronics & Hardware	Field Technician Other Home Appliances
11	Food Processing	Jam Jelly, and Ketchup Processing Technician
12	Tourism & Hospitality	Food & Beverage Service Assistant

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना के मुख्य बिन्दु

1. सत्र 2022–23 से स्टार्स परियोजना अन्तर्गत राज्य के 18 जिलों के 57 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (50 ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एवं 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों – CWSN के लिए) में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। एवं सत्र 2023–24 में स्टार्स परियोजना अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु गत सत्र से संचालित 57 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ 24 जिलों में नवीन 100 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जायेगी।
2. सत्र 2022–23 से संचालित 50 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु संचालित विद्यालयों में सत्र 2023–24 में विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के साथ साथ कक्षा 9 में नियमित/अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. सत्र 2022–23 से राज्य के 6 जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Need – CWSN) हेतु 7 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है जो सत्र 2023–24 में भी जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
4. विद्यालयों (ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन) का चयन जिलों से प्राप्त प्रस्ताव का अध्ययन कर, Aspirational & Special Focused जिलों के विद्यालयों को प्राथमिकता देते हुए तथा ट्रेड/सेक्टर का चयन विद्यालय के आस–पास उपलब्ध उद्योगों (Industry) व क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार उपलब्धता के अवसरों के आधार पर किया गया है।
5. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन/अभ्यर्थियों के चिन्हिकरण हेतु विद्यालय के आस–पास के परिक्षेत्र में 14 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सर्वे किया जाना। साथ ही विद्यालय के संस्थाप्रधानों, कौशल मित्र एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रचार प्रसार व अभ्यर्थियों के अभिभावकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जायेगा।
6. प्रत्येक चयनित विद्यालय के चिन्हित अभ्यर्थियों को ट्रेड/सेक्टर में NSQF द्वारा निर्धारित लेवल–1 व 2 का निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा नवीन अनुमोदित विद्यालयों में प्रति विद्यालय प्रति सेक्टर 25 अभ्यर्थियों का व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयन कर विद्यालयों द्वारा उनका रिकार्ड संधारित किया जाना है।
7. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

पण्डित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल के सुझाव अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित की जाती है।

8. व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने व योजना के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ संस्था प्रधान व कौशल मित्र का आमुखीकरण तथा चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर /व्यावसायिक समन्वयकों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का राज्य स्तर से विभिन्न चरणों में आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
9. विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल तथा राज्य स्तर की समिति से अनुमोदन उपरान्त सेक्टर से सम्बन्धित टूल्स/मशीन/उपरकण/सामग्री का निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय कर व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है।
10. पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने तथा विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर में प्रासंगिक कौशल व ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विद्यालय स्तर पर 16 गेस्ट लेक्चर (4 सॉफ्ट स्किल व 12 डोमेन सेक्टर) का आयोजन किया जाता है।
11. अभ्यर्थियों को कुल 80 घण्टे की इन्टर्नशिप/ऑन जाब ट्रेनिंग दिया जाना है।
12. व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत नामांकित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभ्यर्थियों का अकादमिक शिक्षा के लिए पात्रता अनुसार विद्यालय में अथवा कक्षा 8/10/12 में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS) में प्रवेश का रिकार्ड संधारण किया जाना है।
13. व्यावसायिक शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा व रोजगार के मध्य अन्तर को कम करने एवं व्यावसायिक शिक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाता है।
14. कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 10 Bagless Days अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसरो की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञो द्वारा प्रदान करने तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये Exposure to Vocational Education का आयोजन किया जायेगा।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा विषय में अध्ययन, प्रशिक्षण, परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति :–

1. आउट ऑफ स्कूल अभ्यर्थियों को लेवल–1 व 2 के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 2 घण्टे का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु प. सुन्दर लाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित 200 घण्टे का प्रशिक्षण दिया जाना है।
2. संस्था प्रधान, विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति से अनुमोदित प्रस्ताव अनुसार विद्यालय व्यवस्था, अभ्यर्थियों की उपलब्धता आदि के आधार पर विद्यालय समय /विद्यालय समय से पूर्व/विद्यालय समय के पश्चात 2 घण्टे प्रशिक्षण हेतु निर्धारित करेगें।
3. प्रशिक्षणार्थियों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा के एसेसमेन्ट एवं सर्टिफिकेशन का कार्य सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विद्यालय में ही करवाया जावेगा तथा अभ्यर्थियों का रिकार्ड निम्न प्रारूप में विद्यालय द्वारा संधारित किया जायेगा :–

Vocational Education for Out of School Children – Student Information				
Name	Gender	School UDISE Code	Vocational Trade/Course	Assessment Date
				DD/MM/YY

4. लेवल–2 व्यावसायिक शिक्षा विषय का मूल्यांकन/परीक्षा 100 अकों का होगा जिसका अंक विभाजन निम्न प्रकार है:–

Internal Assessment /Portfolio/ Viva (मौखिक परीक्षा)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रायोगिक कार्य/परीक्षा
20	30	50

विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन (20 अंक) का अंक विभाजन निम्नानुसार है:–

1. उपस्थिति – 5 अंक
2. पोर्टफोलियों – 5 अंक
3. कक्षा परख – 5 अंक
4. कक्षा में प्रदर्शन (Performance) – 5 अंक

5. अभ्यर्थियों को प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र सम्बन्धित Sector Skill Councils द्वारा जारी किया जायेगा।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

6. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS) में पंजीकरण करने के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण प्रपत्र व शुल्क राशि की रसीद ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में जमा कराने पर राशि का पुनर्भरण विद्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को किया जाएगा तथा सम्पूर्ण रिकार्ड विद्यालय द्वारा संधारित किया जाएगा।

7. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) के लिये कक्षा 10 व 12 की परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर तथा सेक्टर स्किल कांउसिल के द्वारा किया जायेगा।

8. स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में परीक्षा आयोजन निम्न प्रकार से होगा।

परीक्षा आयोजन सम्बन्धित विवरण

परीक्षा	आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन (लेवल–1 व 2)	लेवल–1 (कक्षा–10) एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी (CWSN)	लेवल–2 (कक्षा–10) के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी (CWSN)
सतत् मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर
सैद्धान्तिक परीक्षा	NSDC/SSC द्वारा	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर
प्रायोगिक परीक्षा	NSDC/SSC द्वारा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

STAR PAB 2023-24 में अनुमोदित बजट प्रावधान तथा व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश

स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, 9वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों ;CWSNद्ध हेतु वर्ष 2023 –24 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्न तरह से राशि स्वीकृत है। गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु राशि का उप गतिविधि अनुसार विभाजन निम्नानुसार हैः–

तालिका.1 Training Centers for Out of School Children (Existing 50 double trade schools)–

Sr. No.	Activity (Recurring)	Physical	Unit Cost	Total (Financial in Lakhs)
5.1.1	Raw Material, maintenance, upgradation Cost for 2 labs per school & Books, content @ .80 Lakh Per school	50 (Schools)	0.8	40.00
5.1.2	Financial Support to Vocational Trainer & administrative cost to VTP's@ 20,000 per trade per month	1200 (100 VT for 12 month)	0.2	240.00
5.1.3	Assessment & Certification of out of School Children(50 training centers for Out of school children/@1000/- Per candidate)	500 (OoSC Students)	0.01	5.00
5.1.4	Internship for out of school children for 10 days @ Rs. 250 Per day	500 (OoSC Students)	0.025	12.50
5.1.5	Office Expenses/ Contingencies for School & IEC	50 Schools	0.55	27.50
5.1.6	Outreach Drive/ in each district @ 0.25 Per school	50 Schools	0.25	12.50
5.1.7	Reimbursement of admission fee in NIOS / RSOS @ 2000/- per candidate	500 (OoSC Students)	0.02	10.00
Total				347.50

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

तालिका.2 Training Centers for regular 9th class students (Existing 50 double trade old schools)

S. No.	Activity (Recurring)	Physical	Unit cost	Financial Outlay in Lakh
5.2.2	Hands on Skill training for students@ 0.60 Lakh per training center - 3 trade specific industrial visit as per NSQF provision	50 (Schools)	0.6	30.00
5.2.3	One day Induction Training of VE- Teachers & Principals@1000/- per person	150 (100 VT & 50 Principal)	0.01	1.50
5.2.4	Raw Material, Cost for 2 labs per school & Books, content Books, content & Stationery Items for 9th class students (50 training centers -average 80 candidates@ 0.55 Lakh/- per school)	50 (Schools)	0.55	27.50
Total				**59.00**

तालिका . 3 Training Centers for Out of School Children (I00 single trade new schools) –

S. No.	Activity	Physical	Unit cost	Financial Outlay
5.3.1	Vocational Labs cum Training Centre for Out of School Children @ I trades per school (5 lakhs per trade) **Non- Recurring**	100 Schools / Lab	5	500.00
5.3.2	Baseline survey of Out of School children @ for 4 days with 2 VT / Teacher (@Rs. 250 per trainer Per day)	100 Schools	0.02	2.00
5.3.3	Raw Material for one lab per school. Books & content@ 0.55 Lakh per school	100 Lab / Schools	0.55	55.00
5.3.4	Assessment & Certification of out of School Children (100 training centers for Out of school children@ 25 students per training center)	2500 OoSC	0.01	25.00
5.3.5	Internship for out of school children for 10 days@ Rs. 250 per day	2500 OoSC	0.025	62.50
5.3.6	Financial Support to Vocational Trainer & administrative cost to VTP's @ 25,000 per school per month	1200 (100 VT for 12 month)	0.2	240.00
5.3.7	Training for vocational trainer (2 days training)	100 (VT)	0.015	1.50
5.3.8	Training for District officers (33)	33 (District)	0.015	0.50

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

S. No.	Activity	Physical	Unit cost	Financial Outlay
5.3.9	Office Expenses for School & IEC	100 Schools	0.55	55.00
5.3.10	Placement Drive / 1 in each trade @ 20000 per school	100 Schools	0.2	20.00
5.3.11	Reimbursement of admission fee in NIOS / RSOS @ 2000/· per candidate	2500 OoSC	0.02	50.00
5.3.12	Room (520 Sqft) for each school Rs.12.38 Lakh per school (Non-Recurring)	100 rooms	12.38	1238.00
Total				2249.50

तालिका . 4 Training Centers for Children with Special Needs (07 CWSN single trade shools) –

S. No.	Head of expenditure	Physical Targets	Unit cost	Financial Approval (in Lakh)
1	Financial support for vocational Teachers/ Trainers @20000/- per center	7 VT for 12 months (84 months)	0.20	16.80
2	Financial support for resource person @ 0.03 Lakh per center - 2 guest lectures each month as per NSOF provision	7	0.03	0.21
3	Raw Material, maintenance, upgradation Cost of lab for each school & Books (Development of CWSN specific teaching content) @ 0.30 Lakh per School	7	0.30	2.10
4	Hands-on Skill training for students@ 18000/- per student 3 trade specifies industrial visit as per NSQF provision	150 Students	0.018	2.70
5	One-day Induction Training of VE - Teachers & Principals @ 1500/- per person	14	0.015	0.21
6	Office Expenses for School & IEC @ 0.55 lakh per school	7	0.55	3.85
	Total			**25.87**

1. **अनावर्ती मद**

- Tools, Equipment & Furniture (New) मद में नवीन अनुमोदित 100 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला स्थापना हेतु प्रति प्रयोगशाला राशि रूपये 05 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
- नवीन अनुमोदित 100 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला हेतु कक्ष के निर्माण हेतु राशि 12.38 लाख रूपये प्रति कक्ष स्वीकृत की गई है।

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

2. आवर्ती मद

1) Financial Support to Vocational Trainer & administrative cost to VTP's मद में राशि का वर्तमान में जिला स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय व्यय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रशासनिक चार्ज पर व्यय किया जाना है।

2) Raw Material, maintenance, upgradation Cost for 2 labs per school & Books, content मद में राशि विद्यालयों में प्रति विद्यालय दो व्यावसायिक लैब ;गत सत्र मे अनुमोदित) एवं एक व्यावसायिक लैब (वर्तमान सत्र मे नवीन अनुमोदितद्ध में प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली Raw Materials, उपकरणों के रखरखाव, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें व ई–लर्निंग सामग्री के क्रय तथा व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रचार–प्रसार, स्टेशनरी, यात्रा व्यय एवं परीक्षा सम्बन्धी ई–कन्टेन्ट आदि के क्रय हेतु राशि प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर राशि रूपये 40000 ;गत वर्ष से संचालित 50 डबल सेक्टर स्कूल फॉर OoSC) एवं राशि रूपये 55,000 (नवीन अनुमोदित 100 एकल सेक्टर स्कूल फॉर OoSCद्ध का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग राज्य तथा विद्यालय स्तर पर किया जाना है।

3) Internship/Cost of Providing Hands Training Students मद में राशि विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग पर व्यय किये जाने हेतु राशि रूपये 250 प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित की जानी है।

4) Assessment and Certification Cost मद में राशि 1000/– प्रति विद्यार्थी की दर से लेवल–2 के प्रशिक्षणार्थियों के Assessment एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल को जारी की जानी है।

5) Training of VE - Teachers मद में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिये Training आयोजित करवायी जानी है।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

STAR PAB 2023-24 में अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश

गेस्ट लेक्चर

परिचय –

गेस्ट लेक्चर गतिविधि पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गेस्ट लेक्चर विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर में प्रासंगिक कौशल व ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य –

a) दुनिया के वास्तविक परिदृश्य और जीवन के अनुभवों में गतिशीलता एवं कार्य स्थितियों के सम्बन्ध में कौशल विकास।

b) अध्ययन और रोजगार के बीच निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।

c) विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल व रोजगारपरक शिक्षा का विकास।

d) विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अनुभव साझा करना।

क्रियान्वयन –

1. गेस्ट लेक्चर का आयोजन ई–कन्टेन्ट (डिजिटल विडियो) के माध्यम से किया जायेगा तथा इसकी विषय–वस्तु का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं ऑनलाईन उपलब्ध स्त्रोत यथा–यूट्यूब, एनएसडीसी, एसएससी पोर्टल, मिशन ज्ञान आदि से सम्बन्धित सेक्टर के अनुसार किया जाये।
2. गेस्ट लेक्चर हेतु ई–कन्टेन्ट का निर्धारण व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा पूर्ण सावधानी से किया जायेगा तथा इसकी विषय–वस्तु को संस्था प्रधान व जिला कार्यालय से प्रमाणित करवाया जायेगा। प्रमाणित करने से पूर्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक या सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ई–कन्टेन्ट की प्रासंगिकता व गुणवत्ता की जांच सावधानीपूर्वक की जानी है।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

3. गेस्ट लेक्चर हेतु विषय चयन का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा। इस हेतु कौशल मित्र एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) वांछित सहायता प्रदान करेगें।
4. गेस्ट लेक्चर का आयोजन दो प्रकार की विषय–वस्तु यथा–सॉफ्ट स्किल व डोमेन सेक्टर में किया जायेगा।
5. शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 16 गेस्ट लेक्चर तथा प्रति माह 02 गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया जायेगा। सत्र में 4 लेक्चर सॉफ्ट स्किल से सम्बन्धित व 12 लेक्चर डोमेन सेक्टर से सम्बन्धित होना आवश्यक है।
6. प्रत्येक गेस्ट लेक्चर 45 मिनट की अवधि में जॉब रोल के अनुसार प्रदान किया जायेगा। इस हेतु सभी व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
7. गेस्ट लेक्चर के आयोजन से सम्बन्धित विषय–वस्तु डिलिवर करने तथा संसाधनों के अभाव की स्थिति में संसाधन उपलब्ध करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा तथा इसके लिए किसी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. गेस्ट लेक्चर आयोजन से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा गेस्ट लेक्चर पश्चात विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर उसमें आवश्यक सुधार किया जायेगा।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

इन्टर्नशिप/ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT)

परिचय –

इन्टर्नशिपऑन जॉब ट्रेनिंग N.S.Q.F. की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके द्वारा कौशल विकास और रोजगार के मध्य अन्तराल को कम करके प्रशिक्षणार्थी को वास्तविक कार्यस्थल से अवगत कराया जाता है। जिससे भविष्य में उस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं को विद्यार्थी तलाश सके।

उद्देश्य–

a) विद्यार्थियों द्वारा कक्षा–कक्ष में प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान व कौशल को व्यावहारिक या वास्तविक वातावरण में अन्तरित करना।
b) विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर की समझ में अभिवृद्धि।
c) रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा रोजगार चयन में सहायता प्रदान करना।
d) लेवल–2 के बाद प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड/सेक्टर में रोजगार का विकल्प तैयार करने हेतु सक्षम करना एवं विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना।
e) व्यावसायिक क्षेत्र के नियम, कार्यो की वास्तविक कार्यस्थल पर जाकर समझ विकसित करना।
f) प्रशिक्षणार्थियों का व्यक्तित्व एवं कौशल विकास कर रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।
g) औद्योगिक संस्थानों के आन्तरिक काम के माहौल के बारे मे जानकारी प्राप्त कराना।
h) औद्योगिक संस्थानो की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

क्रियान्वयन

1. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु सत्र में 80 घण्टे की ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन किया जाना है।
2. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाना है।
3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से फील्ड भ्रमण कर सेक्टर से सम्बन्धित निकटवर्ती औद्योगिक ईकाई/संस्थाओं का पूल स्थापित किया जाना है।
4. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु स्थापित पूल में से संस्थान का चयन कर वांछित अनुमति प्राप्त करेगा। इसके उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र द्वारा प्री–विजिट किया जाना है।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

5. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा कौशल मित्र एवं संस्था प्रधान को गतिविधि की अवधारणा व कार्यक्रम की रूप रेखा से अवगत करवाया जायेगा।
6. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ इसके उद्देश्य, महत्त्व, प्रक्रिया आवश्यकताओं आदि हेतु परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया जायेगा।
7. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व कौशल मित्र व संस्था प्रधान का होगा।
8. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप में जाने वाले तथा रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।
9. विद्यार्थियों हेतु निर्धारित कार्यस्थल पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आयोजित गतिविधि के फोटो, विडियो, विद्यार्थी/संस्था के अनुभव, लॉग बुक का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र का रहेगा।
10. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा तथा ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्था संस्था प्रधान द्वारा की जायेगी।
11. विद्यालय से प्रशिक्षण स्थल/औद्योगिक भ्रमण स्थल दूर है तो रोडवेज बस से यात्रा करने को प्राथमिकता दी जावे। छात्राओं के भ्रमण के दौरान महिला अध्यापिका भी साथ में जावे।
12. प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा फोटो/वीडियो बनाकर फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जावें। रिपोर्ट सम्बन्धित प्रधानाचार्य/जिला कार्यालय व राज्य कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के पश्चात व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी। जिसमें किये गये कार्यो, अर्जित ज्ञान, चुनौतियॉ आदि का विवरण होगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से विद्यार्थियों की कार्यकुशलता व अनुभव से सम्बन्धित फीडबैक लेकर जिला कार्यालय व संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।

RajKaj Ref
4937235
Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से निरन्तर सम्पर्क कर विद्यार्थियों के भविष्य मे रोजगार की संभावनाओ का पता कर समन्वय स्थापित किया जाना है।
4. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
5. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा–फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

प्लेसमेंट ड्राइव (आउटरीच)

परिचय –

व्यावसायिक शिक्षा व रोजगार के मध्य अन्तर को कम करने तथा व्यावसायिक शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जायेगा। इसमें व्यावसायिक शिक्षा में रोजगार उपलब्ध कराने वाले आद्यौगिक समूह/संस्थाओं को आमन्त्रित कर इच्छुक व 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उद्देश्य–

a) व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना।
b) व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
c) शिक्षा और रोजगार के अन्तर के मध्य सेतु निर्माण करना।
d) विद्यार्थियों को रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

क्रियान्वयन –

1. प्लेसमेंट ड्राइव में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा औद्योगिक भ्रमण व ऑन–जॉब ट्रेनिंग आयोजन के समय रोजगार उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक ईकाई/संस्थान की पहचान कर प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन हेतु टाई–अप किया जायेगा।
3. प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन संबधित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा एसेसमेंट समाप्ति पश्चात परिषद द्वारा जारी निर्धारित तिथि व स्थान पर किया जायेगा।
4. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा चयनित उद्योगों के साथ संपर्क/लिंकेज स्थापित कर उन्हें प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।
5. प्लेसमेट ड्राइव हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक कर रोजगार एवं कैरियर के उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जायेगी।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

6. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार की उपलब्धता, संस्थाओं की आवश्यकता, वेतन संरचना, रोजगार स्थल आदि की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी।
7. व्यावसायिक शिक्षा के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा एवं कम से कम 03 नियोक्ताओं के साक्षात्कार में शामिल करवाना अनिवार्य है। एवं 18 वर्ष से कम आयु के सभी विद्यार्थियों को अप्रेंटिशिप हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
8. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विभिन्न क्षेत्र की संस्थाओं, कंपनियों व नियोक्ताओ को जॉब फेयर में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
9. कौशल मित्र व संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों के लिए विद्यालय से प्लेसमेंट ड्राइव के स्थान तक आने–जाने के लिए परिवहन व आयोजन के दौरान विद्य ार्थियों के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाये।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभागी संस्थाओं का समस्त विवरण, फोटोग्राफ्स, विद्यार्थियों के प्लेसमेंट से संबधित समस्त डाटा व अन्य दस्तावेजो का संधारण किया जायेगा।
2. प्लेसमेंट के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए विद्यार्थियों की प्लेसमेंट प्रगति को ट्रैक व रिकार्ड संधारण किया जाना अनिवार्य है।
3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा जॉब प्लेसमेंट में प्रतिभागियों, नियोक्ताओं और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों से उनके अनुभव के बारे में फीडबैक प्राप्त कर रिपोर्ट संधारित की जायेगी।
4. जिला कार्यालय द्वारा प्लेसमेंट की समेकित रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. जॉब प्लेसमेंट के परिणाम और विद्यार्थियों व नियोक्ताओं से फीडबैक के आधार पर राज्य तथा जिला कार्यालय द्वारा भविष्य हेतु वांछित सुधार किया जायेगा।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

Exposure to Vocational Education (Class 6 to 8)

परिचयः–

कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 10 Bagless Days अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसरो की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञो द्वारा प्रदान करने तथा व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये Exposure to Vocational Education का आयोजन किया जायेगा।

उद्देश्य –

a. कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन की अभिरूचि व विषय का चयन बोध विकसित करना।
b. विद्यार्थियों को श्रम की महत्ता, स्थानीय कलाओं और कारीगरी सहित विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित कराना तथा अनुभव प्रदान करना।
c. कौशल विकास एवं कौशल के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरो की जानकारी प्रदान करना।
d. स्वरोजगार की भावना विकसित करना।
e. व्यावसायिक शिक्षा योजना का प्रचार–प्रसार करना।

क्रियान्वयन–

1. राज्य के वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा संचालित 1867 सामान्य एवं 57 स्टार्स प्रोजेक्ट विद्यालयों, 2023–24 में नवीन अनुमोदित 1081 सामान्य तथा 100 स्टार्स प्रोजेक्ट विद्यालयों तथा भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु प्रस्तावित किये जाने वाले विद्यालयों सहित कुल 5000 विद्यालयों में कक्षा–6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये विद्यालय स्तर पर Exposure to Vocational Education का आयोजन किया जावेगा।
2. Exposure to Vocational Education का आयोजन 10 No Bag Days (शनिवार) में निम्न तालिका अनुसार किया जायेगा–

Month	Bagless Day	Class wise activity details			Resource Person	Expected Outcomes
		Class 6th	Class 7th	Class 8th		
September	1st Saturday	Visit of nearby agriculture field to understand the soil-preparation for the Kharif crop and the macro and micronutrients required for the crop. **Time duration** –	Theory and practical lecture in school for Soil & water sampling & testing and the importance of soil health card **Time duration** – 45 (15 minutes theory and 30 minutes practical) minutes	Cutting, grafting & sowing of plants **Time duration** – 45 (15 minutes theory and 30 minutes practical) minutes	Agriculture Supervisor/ Established and well-known / Famous Farmer of the village / nursery Gardner of	Students will take care as well as develop vatika / nursery in the school as well as their homes

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

Month	Bagless Day	Class wise activity details			Resource Person	Expected Outcomes
		Class 6th	Class 7th	Class 8th		
		1.30 hrs			nearby village	
	3rd Saturday	Practical / Demonstration session: create the groups of 10 students (mixed 6th, 7th & 8th class student) for taking care of plants in schools and development of nursery in school with the help of Vocational Trainer, Kaushal Mitra, Agriculture related teacher, School Principal, and the Agriculture supervisor				
October	1st Saturday	Basic knowledge of following; (combined class 6,7 & 8) 1. Type of cloths 2. Basic stitching (Hand and Machine) 3. Button tagging 4. Hanky making 5. Saari Fall 6. How to take measurement 7. Raffu work **Time duration** – 1 Hr (30 minutes theory and 30 minutes practical)			Tailor	Basic stitching work and knowledge of cloths
	3rd Saturday	Visit of Bank / Co-operative Society to understand about the work / functions; **Time duration** – 1.30 Hrs	Lecture & Practical session at school; • For opening of Bank account • About debit/credit card and online banking • About safety / precautions while making online payment. **Time duration** – 1.00 Hrs	Lecture and practical session on type of insurance & their importance. **Time duration** – 1.00 Hrs	Nearby Bank / Cooperative society official / insurance company officials	Knowledge about bank / financial instruments & their`s use and precautions etc.
November	1st Saturday	Knowledge of various materials used in construction of house / animal shelter in their local area, showcase of various tools at school **Time duration** – 30 Minutes	Theory session on use of wastewater and development of irrigation system (with the of waste pipe and other low-cost material) for the school Vatika / Nursery by the school wastewater. **Time duration** – 1.00 Hrs	Theory and Practical on best uses of waste and locally available low-cost material in day-to-day life; 1. Preparation of Cow dung bricks and other material 2. Items from the waste plastic bottles 3. Used tyres etc **Time duration** – 1.00 Hrs	Mason / Plumber / Local Artisans	Best use of locally waste & low-cost material
	3rd Saturday	Lecture on awareness about basic hygiene &	Lecture on Precaution & remedies for the following:	Concept of First Aid box. Basic required medicines for First Aid Box.	Nurse / Asha Sahyogini / Vaidya etc.	Importance of hygiene & sanitation, do's and don'ts in

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

Month	Bagless Day	Class wise activity details			Resource Person	Expected Outcomes
		Class 6th	Class 7th	Class 8th		
		sanitation **Time duration** – 30 Minutes	1. Heat Stroke / Electric Stroke / Fire burn / water drowning 2. Spray of pesticides on plants/crop 3. Snake bite **Time duration** – 30 Minutes	Making of First Aid box with the help of a Shoebox and other material Cardiopulmonary resuscitation (CPR) **Time duration** – 30 Minutes		emergency situation
December	1st Saturday	Lecture and practical session on local/famous art and craft like. (Combined class 6,7 & 8) 1. Dai 2. Bandhej 3. Kadai Bunai 3. Bamboo art etc **Time duration** – 1.00 Hr			Local artisans	Best use of locally available craft items
	3rd Saturday	Lecture on basics of pottery making and practical session on the following; (Combined class 6,7 & 8) 1. Diya making, 2. Pot making, 3. Small statue / structure 4. Many other items **Time duration** – 1.00 Hr			Local artisans	Basic pottery work and how to prepare useful items
January	1st Saturday	Basics knowledge of Symbols in packed foods i.e 1. Veg and Non-veg 2. Expiry and manufacturing date	Theory session on uses of traditional/local preservatives for safe storage of food grains and perishable food items.	Preparation/process of making the following food items; 1. Badi Papad, 2. Different - different Pickles 3. Millet related items etc	Home Maker / SHGs member	Food safety, preparation of local food items
	3rd Saturday	School-level exhibition cum competition			Kaushal Mitra, Skill Knowledge Facilitator, Principal	Best products/models / charts

3. उक्त गतिविधियों की योजना एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संस्था प्रधान, कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा।
4. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में उक्त गतिविधियों हेतु विभिन्न विशेषज्ञ/सन्दर्भ व्यक्ति/आर्टिजन आदि का चयन व उनसे समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर का होगा तथा अन्य विद्यालय में यह दायित्व कौशल मित्र (संस्था प्रधान द्वारा नामित अध्यापक) का होगा।

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

5. Exposure to Vocational Education गतिविधि के पश्चात विद्यार्थियों से सीखे गये कार्य का प्रोजेक्ट, मॉडल व चार्ट आदि निर्मित कर विद्यालय स्तर पर प्रदर्शित करने हेतु बाल मेला का आयोजन यथा संभव फरवरी माह या परिषद द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित किया जायेगा। बाल मेला आयोजन का समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधान का होगा।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा Exposure to Vocational Education का समस्त विवरण संधारण किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर Exposure to Vocational Education में विद्यार्थियो से उनके अनुभव के बारे में फीडबैक प्राप्त कर रिपोर्ट संधारित करेगा।
3. जिला कार्यालय द्वारा जिले की समेकित रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
4. Exposure to Vocational Education के अनुभवो व फीडबैक के आधार पर राज्य तथा जिला कार्यालय द्वारा भविष्य हेतु वांछित सुधार किया जायेगा।
5. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा–फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

Raw Material, Maintenance of Tools

1. उक्त राशि का उपयोग संबधित व्यावसायिक ट्रेड/सेक्टर के प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, अस्थायी सामग्री, ई–लर्निंग सामग्री, पाठ्य पुस्तक, संन्दर्भ सामग्री क्रय करने में तथा संबधित ट्रेड के उपकरणों औजारों के रख रखाव, त्रुटि सुधार, अपग्रेड करने में किया जा सकेगा।
2. कच्ची सामग्री के क्रय हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व कौशल मित्र से आवश्यक सामग्री की सूची व मापदण्ड प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर सामग्री क्रय की जानी है।
3. सामग्री का क्रय तथा भुगतान विद्यालय स्तर पर किया जावेगा तथा विद्यालय से व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य कार्यालय को प्रेषित की जानी है।
4. उपरोक्त व्यय के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विद्यालय एसडीएमसी से अनुमोदन करावें।
5. उक्त राशि का उपयोग प्रति माह खर्च करते हुए 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जावे।
6. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
7. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

Office Expenses /Contingencies for school

1. उक्त राशि का उपयोग निम्न गतिविधि/सामग्री में किया जा सकता हैः–
   a) विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में आयोजित होने वाली बैठको के आयोजन पर होने वाला व्यय जैसे कि फोटो, बैनर, चाय, अल्पाहार इत्यादि।
   b) व्यावसायिक शिक्षा विषय से संबधित कोई रैली व प्रचार–प्रसार।
   c) व्यावसायिक शिक्षा योजना में नांमाकित विद्यार्थियो ं के अभिभावको ं के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय।
   d) व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विद्यालय के संस्था प्रधान/कौशल मित्र द्वारा फील्ड विजिट पर हाने वाला व्यय।
   e) व्यावसायिक शिक्षा से संबधित स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, आदि पर होने वाला व्यय।
   f) व्यावसायिक शिक्षा से संबधित टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय।
2. उपरोक्त करवाये गये कार्यो का अनुमोदन संबधित विद्यालय की एसडीएमसी द्वारा किया जाना है।
3. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
4. उक्त राशि का उपयोग 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जावे। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य कार्यालय को प्रेषित की जानी है।
5. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा हेतु विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले कार्य

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी (CDEO/ADPC/APC/PO) के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है–

1. योजना–

व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश व सहायता प्रदान करना।

2. क्रियान्वयन –

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालनः–** व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत परिषद् से जारी योजना सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा–निर्देश की व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, विद्यालय एंव ब्लॉक से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधनः–**जिला कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु परिषद् कार्यालय से जारी राशि को ब्लॉक/विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :–** विद्यालयों में राज्य कार्यालय द्वारा सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना किया जाना। जिला कार्यालय सुनिश्चित करेगें कि लैब आवश्यक टूल व उपकरणों से सुसज्जित हो।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षणः–** जिला कार्यालय नवीन नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को आवंटित विद्यालयों में नियोजन से पूर्व उनके मूल दस्तावेज़ों से मिलान कर सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे निविदा दस्तावेज़ के अनुलग्नक–6 में उल्लेखित आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदण्डों को पूरा करते हो। जिले में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों के दस्तावेजों की छायाप्रति सहित समस्त रिकॉर्ड संधारित करेगें।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

3. **पुनर्भरण एवं भुगतान प्रबन्धनः–** जिला कार्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक व स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर के मानदेय भुगतान की पुनर्भरण पत्रावलियों का भुगतान करने की समयबद्व कार्यवाही सम्पादित करेगें। मानदेय पुनर्भरण भुगतान प्रक्रिया हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रस्तुत पत्रावली और समस्त दस्तावेजों यथा– व्यावसायिक प्रशिक्षक/ स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर उपस्थिति रिकॉर्ड, एनईएफटी और बैंक हस्तांतरण विवरण, व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि रिपोर्ट आदि का सत्यापन कर भुगतान किया जाना है।

4. **मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंगः–**

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकनः** आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों का पालन हेतु नियमित विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **जिला स्तरीय बैठक :–** आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में माह में एक बार संस्था प्रधान व स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंगः** जिला कार्यालय, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- **संबधित हितधारकों के साथ समन्वय** :– जिला कार्यालय, विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, उद्योग विशेषज्ञ, समुदाय के सदस्य और राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्व रहकर व्यावसायिक शिक्षा योजना को सुद्वढ़ करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- योजना संचालन में आयोजित नियमित गतिविधियों पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिमाह सूचना परिषद् कार्यालय को प्रेषित करना।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. योजना–

स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधिनस्थ विद्यालयो को आवश्यक दिशा–निर्देश व सहायता प्रदान करना।

2. क्रियान्वयन –

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालनः–** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत परिषद् व जिला कार्यालय द्वारा जारी योजना संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा–निर्देश की विद्यालय से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधनः–** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु जिला कार्यालयों द्वारा जारी राशि को विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :–** विद्यालयों में स्टार्स परियोजना अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु राज्य कार्यालय द्वारा जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना व सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

3. **मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंगः–**

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकनः** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों का पालन हेतु नियमित विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **ब्लॉक स्तरीय बैठक :–** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में संस्था प्रधान व स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंगः** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित कर शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवायी जानी है।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

संस्था प्रधान के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. **योजना और क्रियान्वयनः** स्टार्स परियोजना अंतर्गत विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों, स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर, जिला व ब्लॉक कार्यालय सहित समस्त हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। कक्षा–कक्षों/प्रयोगशाला कक्ष में बिजली एवं अभ्यर्थियोंके बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. **अध्ययन योजना निर्माणः** संस्था प्रधान स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर को आवश्यक दिशा निर्देश व सहायता प्रदान करेंगे।
3. **कौशल मित्र नामित करना** : विद्यालय संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव–सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।
4. **व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थितिः–** विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति करवाये जाने हेतु अलग से रजिस्टर संधारित कर सेक्टरवाईज उपस्थिति करवाना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक का नाम नहीं लिखकर केवल सेक्टर का नाम व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का ही उल्लेख करना है। संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में उपस्थित रहने पर "P", अवकाश पर रहने पर नियमानुसार "L", अनुपस्थित रहने पर "A" तथा विभिन्न राजकीय/स्थानीय घोषित अवकाश होने पर "H" अंकित किया जाना तथा **प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर किये जाये।**
5. **व्यावसायिक प्रशिक्षक अवकाशः–** व्यावसायिक प्रशिक्षकों को एक माह में एक आकस्मिक अवकाश देय होगा अर्थात वर्ष भर में प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक को कुल 12 अवकाश देय है, जिसका समस्त रिकार्ड संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जावेगा।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

6. **संसाधन आवंटन और प्रयोगशाला स्थापनाः** स्टार्स परियोजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा की लैब स्थापित कर 14 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रॉपआउट) बालक–बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगें। व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित किये जाने हेतु बजट और सामग्री सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रयोगशाला निर्धारित मानकों अनुसार स्थापित जाये तथा प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का क्रय कौशल मित्र और व्यावसायिक प्रशिक्षक से परामर्श से किया जाये।

7. **समय–सारिणी निर्धारणः** संस्था प्रधान, विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति से अनुमोदित प्रस्ताव अनुसार विद्यालय व्यवस्था, अभ्यर्थियोंकी उपलब्धता आदि के आधार पर स्टार्स परियोजना अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की व्यावसायिक शिक्षा हेतु विद्यालय समय/विद्यालय समय से पूर्व/विद्यालय समय के पश्चात 2 घण्टे प्रशिक्षण हेतु निर्धारित करेगें एंव 9वीं के लिए 200 घंटे के निर्धारण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता से संतुलित समय सारणी बनायेगें। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण करने हेतु विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में तथा नो बैग डे में कालांश आवंटित कर अध्ययन करवाया जाये।

8. **100 नवीन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु व्यावसायिक शिक्षा वाले** विद्यालयों के परिक्षेत्र में 14 से 18 वर्ष के अनामांकित/ड्रॉपआउट बालक बालिकाओं का 04 दिवसीय सर्वेक्षण करवाया जाना है। सर्वे कार्य विद्यालय के 02 अध्यापक/आध्यापिका द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य हेतु प्रति दिवस प्रति अध्यापक/व्यावसायिक प्रशिक्षक को राशि रूपये 250/– मानदेय का प्रावधान है। उक्तानुसार सर्वे करवाकर निम्न प्रारूप में रिकार्ड संधारित किया जाना हैंः–

Survey Format - OoSC										
S.No	District	Block	School	Udise	Name	Gender	Fathers name	DoB	Aadhar	Mobile

9. उक्त सर्वे अनुसार नवीन अनुमोदित 100 विद्यालयों में कम से कम 25 इच्छुक अनामांकित/ड्रॉपआउट बालक–बालिकाओं का चयन सत्र 2023–24 में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने लिए किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

25 से अधिक होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जावें।

10. गत वर्ष 2022–23 से प्रदेश में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु संचालित 50 डबल ट्रेड विद्यालयों में वर्ष 2023–24 में कम से कम 10 इच्छुक अनामांकित/ड्रॉपआउट बालक–बालिकाओं का चयन सत्र 2023–24 में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने लिए किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या 10 से अधिक होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जावें। प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। इन्ही 50 विद्यालयों में वर्ष 2023–24 में कक्षा 9वी में वर्तमान में नियमित अध्ययन कर रहे अधिकतम 40–40 विद्यार्थियों को प्रति सेक्टर में प्रवेश देकर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करवाना सुनिश्चित करना है ।

11. विद्यार्थी परामर्श और जागरूकताः संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना की महत्व उपयोगिता व कैरियर के अवसर के बारे में विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक करने हेतु सत्र और कार्यक्रम आयोजित करने में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सहयोग करेंगे।

12. व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंगः सभी नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को जिला कार्यालय द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में कार्यग्रहण करवाया जाये। कार्यग्रहण से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रशिक्षक आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करते हैं। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण करे तथा नियोजन रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित करें।

13. गुणवत्ता और मॉनिटरिंग : संस्था प्रधान शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की नियमित निगरानी करके व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधान समय–समय पर शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को फीडबैक प्रदान करेंगे। संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगें कि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों का नामांकन, मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट इत्यादि समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

14. व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का मूल्यांकनः प्रशिक्षणार्थियों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा के एसेसमेन्ट एवं सर्टिफिकेशन का कार्य सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विद्यालय में ही करवाया जावेगा तथा अभ्यर्थियों को रिकार्ड निम्न प्रारूप में विद्यालय द्वारा संधारित किया जायेगा :–

Vocational Education for Out of School Children – Student Information				
Name	Gender	School UDISE Code	Vocational Trade/Course	Assessment Date
				DD/MM/YY

15. रिपोर्टिंग और अनुपालना :– संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र की सहायता से व्यावसायिक शिक्षा योजना से संबंधित रिपोर्ट जिला व राज्य कार्यालय को समय पर प्रस्तुत की जाये। संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति, नामांकन सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबधित समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक की मासिक उपस्थिति एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की विजिट रिपोर्ट को सत्यापित कर जिला कार्यालय और संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को प्रेषित करेंगे।

16. समग्र मूल्यांकनः संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना के वार्षिक मूल्याकंन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। संस्था प्रधान विद्यालय में व्यावसायिक योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों हेतु रोजगार की संभावनाओं में वृद्वि करने के लिए वांछित सुधार करेंगे।

17. संस्था–प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन, उनके द्वारा संधारित की गई दैनिक डायरी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियों, प्रशिक्षण की साप्ताहिक एवं मासिक योजना साथ ही उनकी मासिक उपस्थिति का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से किया जायेगा।

18. संस्था–प्रधान द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण हेतु अलग से उपस्थिति रजिस्टर संधारित कर प्रमाणीकरण किया जायेगा तथा व्यावसायिक शिक्षा योजना के सम्बंध में आगन्तुकों द्वारा दी जाने वाली

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

टिप्पणी हेतु विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जाना है।

19. नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अभ्यर्थियोंको पात्रता अनुसार विद्यालय में अथवा प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS) में करवाया जाना सुनिश्चित करना।

20. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS)/राजस्थान राज्य ओपन स्कूल (RSOS) में पंजीकरण करने के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण प्रपत्र व शुल्क राशि की रसीद ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में जमा कराने पर राशि का पुनर्भरण विद्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को किया जाएगा तथा सम्पूर्ण रिकार्ड विद्यालय द्वारा संधारित किया जाएगा।

21. विद्यालय में सेवायें प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करना एवं समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ विद्यालय में संधारित करना।

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

कौशल मित्र – भूमिका और उत्तदायित्व

- **उद्देश्य–** विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन, मॉनिटरिंग तथा योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक वरिष्ठ शिक्षक **कौशल मित्र** के रूप में कार्य सम्पादित करेगा।
- **कौशल मित्र चयन :–** विद्यालय संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव–सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।

भूमिका और उत्तरदायित्व

1. **अध्ययन योजना निर्माण में सहायता** – कौशल मित्र, वार्षिक व मासिक अध्ययन योजना, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की समय–सारणी और पाठ योजना निर्माण में संस्था प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
2. **प्रयोगशाला स्थापना** – कौशल मित्र, व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और संस्था प्रधान को सहायता प्रदान करेगा।
3. **प्रयोगशाला सामग्री का क्रय और रखरखाव** :– कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का आकलन कर क्रय हेतु अनुमोदन के लिए संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा।
4. **मूल्यांकन :** कौशल मित्र, मासिक, अर्ध–वार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन में व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर और संस्था प्रधान को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
5. **एक्सपोजर व स्किल एग्जीबिशन** – कौशल मित्र विद्यालय में एक्सपोजर गतिविधियों के आयोजन में सहयोग प्रदान करेगा। विद्यालय स्तर की स्किल एग्जीबिशन

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

गतिविधियों के आयोजन में सहयोग तथा जिला/राज्य स्तरीय प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ आने–जाने का उत्तरदायित्व कौशल मित्र का होगा।

6. **बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान**: कौशल मित्र, स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व व्यावसायिक प्रशिक्षक की मदद से विद्यालय की व्यावसायिक शिक्षा की बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान कर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाते हुये ब्लॉक/जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
7. **रिकॉर्ड संधारण व रिपोर्टिंग** – कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर द्वारा प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा तथा विद्यालय स्तर पर नियमित रिकार्ड संधारण की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व कौशल मित्र का होगा।
8. कौशल मित्र विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा करवाये जा रहे शिक्षण कार्य का दैनिक अवलोकन करना व सप्ताह में एक बार अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना करेगा।
9. विद्यालय में प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर की उपस्थिति, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट एवं वाउचर्स प्रमाणीकरण का कार्य कौशल मित्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. **व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन :–** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निविदा प्रक्रिया से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ अनुबन्ध (एमओयू) किया जायेगा। अनुबन्ध पश्चात कार्यादेश के आधार पर चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन किया जायेगा। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
2. **प्रशिक्षण प्रदान करना:–**
   a) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश तथा NCERT/PSSCIVE/RCScE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में कुशल एवं प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व योजना, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग सम्बन्धित उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
   b) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय स्तर से व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर डाटा एकत्र कर उसकी समेकित रिपोर्ट संधारित कर जिला/राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
   c) विद्यार्थियों और अभिभावकों से वार्तालाप एवं परामर्श कर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता प्रदान करना।
3. **गेस्ट लेक्चर आयोजन:** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता शैक्षणिक योजना के अनुसार आवश्यक विषय–वस्तु का चयन कर गेस्ट लेक्चर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
4. **औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटर्नशिप:–** औद्योगिक ईकाई/संस्थानों में विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करना।
5. **मूल्यांकन:–** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
6. **कैरियर काउंसलिंग, कैरियर मैपिंग, प्लेसमेंट और प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की ट्रेंकिग करना:–**
   a) व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान किया जाना।

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

b) विद्यार्थियों में कैरियर मैपिंग की समझ पैदा कर करियर चयन में सहायता प्रदान करना।

c) उच्च शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की पहचान किया जाना।

d) विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सत्र आयोजित करना।

e) सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का आयोजन करना।

f) 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी इच्छुक विद्यार्थियो को प्लेसमेंट अवसर प्रदान किया जाना। एवं 18 से कम उम्र के इच्छुक अभ्यर्थियों को अप्रेंटिशिप का अवसर प्रदान किया जाना है।

g) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि तक ट्रेकिंग करेंगे।

7. **मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंगः** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के आयोजन की मॉनिटरिंग की जायेगी तथा उनका आवश्यक डाटा एकत्रित कर समेकित रिपोर्ट संधारित की जायेगी।

8. **बेस्ट प्रेक्टिसः–** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रेक्टिस की रिपोर्ट दो बार जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

9. **व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वार्षिक मूल्यांकनः** गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगाः–

क्र.सं.	वार्षिक मूल्यांकन मानदंड	अंक
1	व्यावसायिक प्रशिक्षक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान	10
2	नवाचारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग।	10
3	व्यावसायिक शिक्षा विषय में शिक्षण, अधिगम सामग्री का विकास।	10
4	रोजगार हेतु पंजीकृत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या।	5
5	राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियो की संख्या।	5
6	आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सतत शिक्षा में अथवा NIOS एवं RSOS में नामांकन	5
7	विद्यार्थी नामांकन में सुधार और ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना।	5
	योग	**50**

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उक्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अप्रैल माह में जिला कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

व्यावसायिक प्रशिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

योजना निर्माणः–

1 **शिक्षण योजना :** व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विद्यालय वार्षिक योजना निर्माण में स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता करेगा। वार्षिक योजना शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में तैयार की जायेगी।

2 **पाठ योजना का निर्माण :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और समय सारिणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में मासिक व वार्षिक पाठ योजना तैयार की जायेगी।

3 **प्रयोगशाला रखरखाव :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में प्रयोगशाला के संचालन हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री (रॉ मेटेरियल) का आंकलन संधारित कर रिपोर्ट संस्था–प्रधान को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रियान्वयनः–

1. **विद्यार्थियो और अभिभावकों में जागरूकता :–** जिन आउट ऑफ स्कूल विद्यालयों में 9 वी कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा 2023–24 से प्रारंभ हो रही है उन विद्यालयों में कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा से पहले व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक शिक्षा के परिचय और महत्व के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में कांउसलिग करेंगे तथा प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यार्थियों को परामर्श भी प्रदान करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रवेशोत्सव के दौरान एक व्यावसायिक शिक्षा कॉर्नर तैयार किया जायेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, इसके महत्व, सेक्टर, जॉब रोल, गतिविधियों, रोजगार के अवसरों इत्यादि के बारे मे जानकारी प्रदर्शित होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षक पीटीएम और एसडीएमसी बैठकों के दौरान अभिभावकों से संवाद करेंगे।
2. **नामांकन–** आंवटित विद्यालयों के परिक्षेत्र में 14 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का चिन्हिकरण कर अभ्यर्थियोंकी काउंसलिग कर योजना की विस्तृत जानकारी व उपयोगिता के बारे में अद्यतन करना तथा योजना अनुरूप अभ्यर्थियोंका नामांकन सुनिश्चित करना।
3. **सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षणः–** व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुरूप समय सारिणी के अनुसार व्यापक प्रायोगिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अवधारणाओं की गहन समझ और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री और आईसीटी उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। कक्षा 9वीं में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को 200 घण्टे में तथा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लेवल–2 के पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगा और इस हेतु अतिरिक्त कांलाश भी लिये जाने हेतु बाध्य

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

होगा। यह अतिरिक्त कांलाश 'नो बेग डे' व सामान्य दिवसों में भी लिये जा सकेगें।

4. **दैनिक डायरी और विद्यार्थी पोर्टफोलियोः** व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रतिदिन दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विवरण हेतु दैनिक डायरी तथा विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो संधारित करेगा।
5. **विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूचि और प्राथमिकता को पहचान कर उनके सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए तदनुसार शिक्षण विधियों और रणनीतियों का प्रयोग किया जायेगा।
6. **विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन** : व्यावसायिक प्रशिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों का मासिक परीक्षण, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन (बाह्य और आंतरिक दोनों) के दौरान बोर्ड फॉर्म भरने, उपस्थित विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को संधारित करने आदि कार्यों में सहायता प्रदान करेगा तथा विद्यालय रिकॉर्ड के लिए दस्तावेजों की एक प्रति संधारित रखेगा।
7. **प्रयोगशाला स्थापनाः** व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालय में संस्था–प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपकरणों/सामग्री के साथ व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित कर सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा कौशल मित्र और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता से प्रयोगशाला लेआउट (डिजाइन) निर्धारित किया जायेगा।
8. **गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक भ्रमणः**– व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर और संस्था–प्रधान की सहायता से गेस्ट लेक्चर की विषय–वस्तु का निर्धारिण कर निर्धारित समय पर आयोजन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्रदान करते हुए आयोजन करवायेगा।
9. **ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)/इंटर्नशिप आयोजनः** आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को व्यावसायिक प्रशिक्षक ओजेटी की समस्त जानकारी प्रदान कर ट्रेनिंग के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। औद्योगिक ईकाई/संस्थान के साथ नियमित सम्पर्क कर विद्य ार्थियों के प्रदर्शन पर फीडबैक लेगा तथा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप लॉग बुक तैयार करने व रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
10. **स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशनः**– व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालय स्तर पर सभी व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए कौशल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा तथा अगले चरण में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा।
11. **जॉब फेयर/प्लेसमेंट ड्राइवः**– व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा जॉब फेयर में भाग लेने वाले इच्छुक विद्यार्थियों की पहचान करने, अभिभावकों की सहमति प्राप्त

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

करने, अभिभावकों को परामर्श प्रदान करने, विद्यार्थी बायोडाटा तैयार करने तथा साक्षात्कार तैयारी में सहायता प्रदान की जायेगी। जॉब फेयर में प्रतिभागी एवं चयनित विद्यार्थियों का रिकॉर्ड संधारित कर कम से कम एक वर्ष तक ट्रेकिंग करेगा।

12. व्यावसायिक प्रशिक्षक को एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख करें।

13. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जावेंगा।

मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंगः–

व्यावसायिक प्रशिक्षक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सर्वे, विद्यार्थी नामांकन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इन्टर्नशिप, NIOS / RSOS में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नामांकन और जॉब प्लेसमेंट सहित समस्त रिकार्ड संधारित करेगा तथा संस्था–प्रधान व कौशल मित्र की सहायता से इनकी शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की योजना

a) **शिक्षण योजनाः–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर विद्यालय के संस्था–प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र के समन्वय से व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों का पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के मासिक व वार्षिक शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। वार्षिक पाठ योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता करेगा।

b) **मूल्यांकन योजना**– स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में मासिक और अर्ध–वार्षिक मूल्यांकन स्वरूप तथा शेड्यूल बनाने में संस्था–प्रधान एवं कौशल मित्र को सहयोग करेगा।

c) **उद्योग संपर्क (लिंकेज)–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप व औद्योगिक भ्रमण के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय औद्योगिक ईकाईयों/संस्थानों की पहचान उपरान्त उनसे सम्पर्क स्थापित कर उद्योगों का सम्पर्क–पूल बनायेगा।

d) **सेक्टर विशेषज्ञों एवं स्थानीय आर्टिजन की पहचान** – स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में एक्सपोजर व अन्य गतिविधियों के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय विशेषज्ञों एवं आर्टिजन की पहचान के पश्चात पूल स्थापित कर उसे संस्था–प्रधान से प्रमाणित करवायेगा।

e) **विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सत्र** – स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियो और अभिभावकों के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिग /परामर्श सत्र की योजना निर्माण करेगा।

2. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन–

a) **गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयनः–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

b) **विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वयः–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था–प्रधान, सीबीईओ एवं एडीपीसी के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करेगा। स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर माह में कम से कम एक बार सम्बन्धित एडीपीसी के साथ बैठक कर व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के संचालन

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

की अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही प्रत्येक तिमाही में एक बार सम्बन्धित सीबीईओ के साथ बैठक कर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

c) **सन्दर्भ व्यक्तियों और उद्योग सम्पर्कः**– स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सेक्टर विशेषज्ञ एवं स्थानीय आर्टिजन के साथ सम्पर्क बनाये रखना तथा विद्यालय स्तर पर उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करेगा।

d) **विद्यार्थी और अभिभावक कांउसलिंग सत्र** – स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियो और अभिभावको के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिग/परामर्श सत्र की व्यवस्था करेगा। सत्र में अभिभावकों से परिणाम और विद्यार्थी प्रगति जानने के लिए प्रत्येक विद्यालय की कम से कम एक एसडीएमसी और एक अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेगा।

e) **जिला अधिकारियों के साथ बैठकः**– स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर विद्यालय योजना, मासिक प्रगति, अनुपालना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक रिपोर्ट जमा करने के लिए माह में एक बार सम्बन्धित एडीपीसी, एपीसी एवं पीओ के साथ बैठक आयोजित करेगा।

1. मॉनिटरिंग –

1. **व्यावसायिक शिक्षा योजना की नियमित मॉनिटरिंग–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की प्रगति और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक माह में एक बार सभी आवंटित विद्यालयों का विजिट करेगा। विजिट उपरान्त छात्र नामांकन, मूल्यांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति, गतिविधि वार स्थिति व परिणाम सहित सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट संधारित कर जिला एवं राज्य कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
2. **फीडबैक प्राप्त करना**– स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी विद्यार्थियों, संस्था–प्रधान, कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं अभिभावकों से व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों से चर्चा के आधार पर एग्जिट सर्वे फॉर्म भी भरेगा।
3. **राज्य कार्यालय में त्रैमासिक बैठक**– स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर प्रत्येक तिमाही में एक बार गतिविधियों के समस्त रिकॉर्ड और आगामी योजनाओं के साथ राज्य कार्यालय की बैठक में उपस्थित होगा।
4. **निरंतर वांछित सुधार–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर आवंटित विद्यालयो में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सभी पहलुओं के निरंतर सुधार में आवश्यक योगदान प्रदान करेगा।
5. **बेस्ट प्रेक्टिसः–** स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर द्वारा शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान कर उसकी रिपोर्ट जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र–अ

विद्यालय का नामः–.....

ब्लॉक.....जिला.....

दूरभाष नम्बर.....मेल आईडी.....

प्रमाणित किया जाता है कि माह .....वर्ष..... में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय में संचालित सेक्टर .....मे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता ..... द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक/गतिविधियो की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है–

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (V.T.)की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

2. माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर का विवरणः–

क्र.स	कक्षा	लेक्चर संख्या	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	गेस्ट लेक्चर का स्त्रोत
1	9	1					
2		2					
3	आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन	1					
4		2					
5	CWSN 9 वी	1					
6		2					
7	CWSN 10 वी	1					
8		2					

3. वर्तमान माह तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरणः–

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

4. माह में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण :–

क्र.स	दिनांक	स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में की गई गतिविधियों का विवरण

5. माह में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरणः–

a) प्रायोगिक कार्य हेतु माहवार योजना तैयार की गई है — हाँ / नहीं

b) गेस्ट लेक्चर एवं औद्यागिक भ्रमण/ओजेटी हेतु योजना तैयार की गई है — हाँ / नहीं

c) पाठयक्रम स्थिति (पूर्ण की जा चुकी ईकाईयों की संख्या)– .....

d) नवाचार (यदि कोई किया गया हो)– .....

e) व्यावसयिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु किया गया अतिरिक्त प्रयास .....

f) अन्य– .....

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक के समस्त कार्य सन्तोषप्रद रहे है। अतः जिला कार्यालय द्वारा नियमानुसार भुगतान किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

	V.T. Attendance Detail for current Month					
Total Working Day in School	Present	Absent	On leave(Date)	Govt. Holiday (Date)	Principal Power/Other Power Holiday(Date)	Balance of Leaves

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर

(नोटः–यह प्रारूप माह अक्टूबर, 2023 से उपस्थिति प्रमाणित करने हेतु लागू होगा)

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र–ब

1. जिले का नाम..... निरीक्षण दिनांक.....
2. VTP का नाम.....
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का आंवटित जिला मुख्यालय.....
4. विद्यालय का नाम.....
5. संस्था प्रधान का नाम.....मोबाईल.....
6. कौशल मित्र का नाम व मोबाईल नम्बर.....
7. निरीक्षण दिवस को व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति .....
8. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का नाम व मोबाईल नं.....
9. विद्यालय में आवंटित/संचालित सेक्टर का नाम.....

10. व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों का विवरण।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T

11. निरीक्षण दिवस में विद्यार्थियों की उपस्थिति।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T

12. विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका की उपलब्धता। हॉ/नही
13. प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु राशि। प्राप्त/अप्राप्त
14. सेक्टरवार प्रयोगशाला की स्थिति

सेक्टर का नाम	पूर्ण स्थापित	आंशिक स्थापित	स्थापित नहीं	सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त/अपर्याप्त
सेक्टर–1				
सेक्टर–2				

हस्ताक्षर
स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

15. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित कराये गये गेस्ट लेक्चर का विवरण :–

क्र.स	कक्षा	लेक्चर संख्या	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	गेस्ट लेक्चर का स्त्रोत
1	9	1					
2		2					
3	10	1					
4		2					
5	आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन	1					
6		2					

16. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरणः–

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

17. व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा किये जा रहे प्रयासो का विवरण– (सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरें।)

क्र. सं.	किये जाने वाले कार्यों का विवरण	किये गये कार्य/प्रयायों का विवरण
1	गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण व आन जॉब ट्रेनिंग की माहवार प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में विवरण।	
2	लिंकेज स्थापित औद्योगिक ईकाई/संस्थानों का विवरण।	
3	सैद्धान्तिक व प्रायोगिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की योजना के सम्बन्ध में	
4	गृह कार्य/प्रायोगिक कार्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में।	
5	नवाचार हेतु किये गये कार्य।	
6	अन्य।	

हस्ताक्षर
स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक
नाम व मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान
नाम मय पद एवं मोहर

(नोटः–यह प्रारूप माह अक्टूबर, 2023 से लागू होगा)

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

मानदेय पुनर्भरण व अन्य व्यय के भुगतान संबधित दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा स्टार प्रोजेक्ट अन्तर्गत राज्य के 15 जिलों के 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्थापित कर व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। एवं वर्तमान सत्र में राज्य के 24 जिलों में 100 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ट्रैनिंग सेंटर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्थापित कर व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जाएगी । इस तरह राज्य में सत्र 2023–24 में कुल 150 विद्यालयों में ट्रैनिंग सेंटर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का संचालन किया जायेगा । एवं 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा का संचालन 2022–23 से किया जा रहा है, इन्ही 7 विद्यालयों में सत्र 2023–24 में 9 वीं कक्षा के साथ साथ 10 वी कक्षा में भी व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाना है। उक्त समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/समन्वयकों के मानदेय एवं अन्य व्ययों से सम्बन्धित पुनर्भरण हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. राज्य कार्यालय द्वारा चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आंवटित किये गये विद्यालयों में नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/समन्वयकों के मानदेय एवं अन्य व्यय आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावलियों के पुनर्भरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला कार्यालय द्वारा सम्पादित की जाएगी।
2. जिले में सचांलित समस्त विद्यालयों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) से एक ही बिल प्राप्त किया जावें। (विद्यालय या व्यवसायवार पृथक–पृथक नहीं)
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का मानदेय एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित पुनर्भरण बिल उन्हे सर्वाधिक आंवटित विद्यालयों वाले जिले में प्रस्तुत किया जायेगा। स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का विद्यालय विजिट प्रपत्र संबधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के दोनों पृष्ठ पर संस्था प्रधान के सील व हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
4. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा निर्धारित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। कम विद्यालय निरीक्षण करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक के मानदेय में कटौती एवं राशि रू.

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

500/— प्रति विद्यालय पैनल्टी की जावेगी। विद्यालयों का निर्धारण RCScE द्वारा किया जायेगा।

5. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा विवरण (Tour Programme) के साथ खर्चे का विवरण दिनांकवार तैयार कर बिल/रसीद/टिकिट की मूल प्रति पर Paid by me लिखा जाना आवश्यक है।
6. कार्यालय व्यय के वाउचर देयक के साथ मूल ही प्रस्तुत करें, जो प्रिण्टेड बिल, लेटरपेड, अथवा रबड़सील (प्रिण्टेड व्यवस्था नहीं होने पर) पर ही हो, जिस पर फर्म का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान व मोबाइल न. अंकित हो एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो।
7. कार्यालय व्यय के समस्त वाउचरों की संबंधित माह की मूल प्रति (ऑरिजनल) ही संलग्न हो, किसी भी वाउचर्स की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। कार्यालय व्यय में निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज किये जाने पर कटौती की जावें।
8. व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुबंध के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख होगा।
9. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों को निर्धारित तिथि तक नियोजित नहीं करने पर राशि रू. 500/— प्रतिदिन प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक की गणना से पैनल्टी आरोपित होगी ।
11. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा बिना अनुमति के 04 कार्य दिवस अनुपस्थित एवं 07 कार्य दिवस अनुमति लेने के पश्चात अनुपस्थित रहने की स्थिति में राशि रू. 500/— प्रतिदिन पैनल्टी की जायेगी एवं प्रशासनिक व्यय में भी अनुपातिक कटौती की जायेगी।
12. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिमाह 2 गेस्ट लेक्चर निर्धारित है। कम गेस्ट लेक्चर आयोजित किये जाते है तो संबंधित आवंटित विद्यालयों में कम गेस्ट लेक्चर होने पर 500 रू प्रति गेस्ट लेक्चर पैनल्टी कटौती की जावें। माह मई, जून (ग्रीष्मावकाश) एवं

Signature valid

RajKaj Ref
4937235

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा/राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु घोषित अवकाश की समयावधि में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा मूल प्रमाण पत्र (गेस्ट लेक्चर आयोजित न करवाये जा सकने का कारण सहित) संलग्न होने पर पैनल्टी कटौती नहीं की जावेगी।

13. कक्षा 9 व कक्षा 10 ;CWSN स्कूल) एवं कक्षा 9 (आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद्यालयो) के विद्यार्थियों हेतु प्रति सेक्टर 3 माह में एक बार औद्योगिक भ्रमण (प्रति वर्ष 03) का प्रावधान है, औद्योगिक भ्रमण नही होने की स्थिति में 2000/- प्रति भ्रमण पेनल्टी का प्रावधान है।
14. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हेतु विद्यार्थियों हेतु कुल 80 घण्टे का ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान है, ऑन जॉब ट्रेनिंग निर्धारित तिथियों में आयोजित नही करवाने पर प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस राशि रूपये 100/— पेनल्टी का प्रावधान है।
15. औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय द्वारा निर्धारित मद से किया जायेगा। उक्त गतिविधियों के सम्पादित किये जाने का प्रमाणीकरण व्यावसायिक प्रशिक्षक के उपस्थिति प्रमाण पत्र पर संस्था प्रधान द्वारा इन्द्राज किया जावेगा।
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा प्रस्तुत बिल में से की गई कटौती का कारण संस्था को पत्र/ईमेल द्वारा अवगत करवाया जावेगा तथा संस्था द्वारा 05 दिवस में स्पष्टीकरण एवं संबंधित दस्तावेज जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावे, स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में कटौती को अंतिम रूप दिया जाये।
17. उक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर बिलों का पुनर्भरण करते समय निविदा/ईओआई की शर्तो एवं प्रावधानों के अनुसार पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये।

(डॉ. टी. शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/व्या.शि./STARS-OoSC/दिशा–निर्देश/2023–24/ 6216 **दिनांक** 20 /10 /**2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
04. निजी सहायक, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।

Signature valid
RajKaj Ref
4937235
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

05. निजी सहायक, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
06. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
07. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
08. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, रा. स्कूल शि.प., जयपुर।
09. अतिरिक्त निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
10. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
11. उपायुक्त, शाला दर्पण, रा. स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा टैब में अपलोड कराने हेतु।
12. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), समस्त संभाग।
13. उपनिदेशक, आई.सी.टी., रा.स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिले।
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि दिशा–निर्देश की प्रति सम्बन्धित सी.बी.ई.ई.ओ., पी.ई.ई.ओ. एवं संस्था प्रधान (व्या.शि. संचालित विद्यालय) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त सम्बन्धित ब्लॉक (राजस्थान)।
17. संस्था प्रधान, समस्त व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय (राजस्थान)।
18. स्टार्स पी.एम.यू., रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

RajKaj Ref
4937235

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.19 11:28:15 IST
Reason: Approved

व्यावसायिक शिक्षा संचालित 50 ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जिलेवार, व्यवसायवार सूची–

S. No.	District	UDISE Code	School Name	Sector 1	Sector 2
1	AJMER	8210506103	G.SR.SEC. SSCHOOL BEAWAR KHAS	Telecom	Apparel Made-ups & Home Furnishing
2	AJMER	8210503505	G.SR.SEC.SCHOOL NUNDRI MEHENDRTAN	Plumber	Health Care
3	ALWAR	8060712839	GOVT. SHSS (G) RAMGARH	Retail	IT / ITES
4	BANSWARA	8281004902	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL DAVGARH	Apparel Made-ups & Home Furnishing	IT / ITES
5	BANSWARA	8281009809	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL LIMTHAN	IT / ITES	Plumber
6	BANSWARA	8280117501	GOVT. SIN. SEC.SCHOOL DUNGARIYA	Health Care	IT / ITES
7	BANSWARA	8280815301	GOVT. SIN.SEC.SCHOOL BADI SARVA	Telecom	Health Care
8	BANSWARA	8280805705	GOVT. SIN.SEC.DUNGRIPADA	Apparel Made-ups & Home Furnishing	IT / ITES
9	BANSWARA	8280706506	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL JALIMPURA	IT / ITES	Retail
10	BANSWARA	8280714204	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL MAHUDI	Beauty & Wellness	Telecom
11	BARMER	8170833501	GSSS BOOTH JETMAL	Health Care	IT / ITES
12	BARMER	8170834401	GSSS MEHLU	IT / ITES	Apparel Made-ups & Home Furnishing
13	BARMER	8170304421	GSSS GIRLS JASOL	Beauty & Wellness	Retail
14	BARMER	8170502001	GSSS DANDALI	Health Care	Plumber
15	BARMER	8170408201	GSSS DHARNA	Retail	Beauty & Wellness
16	BARMER	8170408109	GSSS INDRANA	Telecom	Health Care
17	BHILWARA	8240504005	G.S.S.S.NIMBAHERA JATAN	Apparel Made-ups & Home Furnishing	Telecom
18	BHILWARA	8241114201	G.S.S.S. LAD PURA	Plumber	IT / ITES
19	DHAULPUR	8080310804	GOVT.S.S.S. DUWATI	IT / ITES	Apparel Made-ups & Home Furnishing
20	JALOR	8180404301	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAGALSEFTA	Apparel Made-ups & Home Furnishing	Plumber
21	JALOR	8180402401	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL JUNJANI	IT / ITES	Health Care
22	JALOR	8180706001	SHREE DHARAM TIRTH SHANTIDEV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDOLI	Beauty & Wellness	Telecom
23	JALOR	8180701309	ADRASH GOVT. SR.SEC. SCHOOL MODRA STATION	IT / ITES	Beauty & Wellness
24	JALOR	8180306613	ADARSH GOVT.SR.SEC.SCHOOL KESHVANA	Apparel Made-ups &	IT / ITES

S. No.	District	UDISE Code	School Name	Sector 1	Sector 2
				Home Furnishing	
25	JALOR	8180300612	ADARSH GOVT.SR SECONDARY SCHOOL TILODA	Health Care	Retail
26	JALOR	8180806805	Govt.SR.SEC.SCH. TANPI	Retail	IT / ITES
27	JHALAWAR	8320816001	GSSS PIPALIYA	Plumber	Apparel Made-ups & Home Furnishing
28	JHALAWAR	8320521824	GGSSS SUNEL	Beauty & Wellness	Health Care
29	KOTA	8300600484	G.S.S.S. NAYAGOA	Health Care	Plumber
30	NAGAUR	8141207708	GHSS PANCHORI	Telecom	Apparel Made-ups & Home Furnishing
31	PALI	8200208603	G.S.SEC.S. GIRI	Apparel Made-ups & Home Furnishing	IT / ITES
32	PALI	8200203708	GOVT.ADRASH SR.SEC.SCHOOL KANUJA	Retail	Health Care
33	PALI	8200400103	G.SR. SEC.S.	IT / ITES	Plumber
34	PALI	8200809301	G.G.S.SEC. SCHOOL TAKHATGARH	Beauty & Wellness	Telecom
35	PRATAPGARH	8331314107	G.SR. SEC. DHAMOTAR	Health Care	Retail
36	PRATAPGARH	8331111401	GSSS PAREL	Apparel Made-ups & Home Furnishing	IT / ITES
37	PRATAPGARH	8331113901	G. ADRASH SEN.SEC.SCHOOL VAJPURA	Telecom	Health Care
38	RAJSAMAND	8250111705	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHAPLI	Plumber	Apparel Made-ups & Home Furnishing
39	RAJSAMAND	8250106903	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUKARKHERA	IT / ITES	Retail
40	RAJSAMAND	8250208903	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SWADRI	Health Care	Telecom
41	RAJSAMAND	8250200813	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAL	Plumber	Health Care
42	RAJSAMAND	8250602705	GOVT. SR. SEC.SCH. BHANA	Beauty & Wellness	IT / ITES
43	SIROHI	8190201901	G.S.S.S. ORE	Retail	Telecom
44	SIROHI	8190510704	G.SEN.SEC.S. NIMBAJ	Health Care	Beauty & Wellness
45	SIROHI	8190500403	G SR SEC SCHOOL. VARMAN	IT / ITES	Apparel Made-ups & Home Furnishing
46	SIROHI	8190300610	G.H.S.S.VELANGARI	Plumber	Health Care
47	UDAIPUR	8260508701	G.S.SEC.S.BARA	Retail	Beauty & Wellness
48	UDAIPUR	8260505701	G.S.SEC.S.PAI	Health Care	Plumber
49	UDAIPUR	8260501701	G.S.SEC.S.UMARDA	Beauty & Wellness	IT / ITES
50	UDAIPUR	8260415502	G.S.SEC.S.SAVNA	Retail	Beauty & Wellness

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत संचालित 07 CWSN विद्यालयों की जिलेवार, सेक्टरवार सूची–

S.No.	District	UDISE Code	School name and Address	Sector
1	Jaipur	8122505901	Seth Anandi Lal Poddar Mook Badhir Senior Secondary School, Jaipur	Beauty & Wellness
2	Ajmer	8211503913	G H Sec Blind School Adarsh Nagar Ajmer	IT-ITeS
3	Banswara	8280304706	Govt. Badhir Sr. Sec. School Lodha, Talwara	IT-ITeS
4	Bikaner	8030126012	G.Sec. School Mook Badhir, Bikaner	IT-ITeS
5	Bikaner	8030127515	Govt. Netraheen Chhatrawasit Sen. Sec. School, Bikaner	IT-ITeS
6	Jodhpur	8151506318	Govt. Blind Sss, Jodhpur City	IT-ITeS
7	Udaipur	8260523802	Govt. Pragya Chakshu S.Sec. Blind School, Girwa	IT-ITeS

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत नवीन अनुमोदित 100 ट्रेनिंग सेन्टर फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद्यालयों की जिलेवार, सेक्टरवार सूची–

S.No	District	Udise Code	Name of School	Sector
1	Bhilwara	8240103201	Govt. Sen. Sec. Sch. Dantra Bandh (222355)	Electronics & Hardware
2	Bhilwara	8240407001	Govt. Sen. Sec. Sch. Nimbahera Kalan (214530)	Electronics & Hardware
3	Bhilwara	8240602004	Govt. Sen. Sec. Sch. Nathdiyas (214604)	Plumber
4	Bhilwara	8240700808	Govt. Sen. Sec. Sch. Koshithal (214757)	Electronics & Hardware
5	Bhilwara	8240204405	Govt. Sen. Sec. Sch. Badla (214435)	Agriculture
6	Bhilwara	8240105103	Govt. Sen. Sec. Sch. Ratanpura Bhadsi (222360)	Electronics & Hardware
7	Bikaner	8030131103	Govt. Sen. Sec. Sch. Sujandesar (211271)	Beauty & Wellness
8	Bikaner	8030131006	Jawahar Govt. Sen. Sec. Sch. Bhinasar (211268)	Plumber
9	Bikaner	8030301001	Govt. Sen. Sec. Sch. Chandasar (211326)	Plumber
10	Bundi	8230509304	Govt. Sen. Sec. Sch. Bambori (222323)	Food Processing
11	Bundi	8230515604	Govt. Sen. Sec. Sch. Gararda (222340)	Tourism & Hospitality
12	Bundi	8230301706	Govt. Sen. Sec. Sch. Sisola (221641)	Tourism & Hospitality

S.No	District	Udise Code	Name of School	Sector
13	Chittorgarh	8291211102	Govt. Sen. Sec. Sch. Ghss Jarkhana (224394)	Beauty & Wellness
14	Chittorgarh	8290301802	Govt. Sen. Sec. Sch. Daulatpura Begun (224083)	IT-ITeS
15	Chittorgarh	8290900912	Govt. Sen. Sec. Sch. Mandfiya (224296)	IT-ITeS
16	Chittorgarh	8290702802	Mahatma Gandhi Govt. Sch. Kankarwa (487120)	Food Processing
17	Churu	8040207201	Govt. Sen. Sec. Sch. Dokwa (215221)	Agriculture
18	Churu	8040607507	Govt. Sen. Sec. Sch. Bhanuda (215592)	Agriculture
19	Churu	8040508002	Govt. Sen. Sec. Sch. Jogaliya (215478)	Automotive
20	Churu	8040317803	Govt. Sen. Sec. Sch. Jaitsisar (215345)	IT-ITeS
21	Dausa	8110412803	Govt. Sen. Sec. Sch. Gagawana (212934)	Plumber
22	Dausa	8110204901	Govt. Sen. Sec. Sch. - Jopada - Dausa (218057)	IT-ITeS
23	Dausa	8110404503	Govt. Sen. Sec. Sch. Garhhimmat Singh (212905)	Agriculture
24	Dausa	8110411513	Kgb Sch. Pawta (414877)	Agriculture
25	Dausa	8110221302	Govt. Sen. Sec. Sch. Kalota (218117)	Beauty & Wellness
26	Dholpur	8080410401	Govt. Sen. Sec. Sch. Mahadpura (211820)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
27	Dholpur	8080305801	Govt. Sen. Sec. Sch. Firojpur (224995)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
28	Dholpur	8080503201	Shrimati Mathura Devi Govt. Sen. Sec. Sch. Kolari (211773)	Beauty & Wellness
29	Dungarpur	8270903601	Govt. Sen. Sec. Sch. Venja (222377)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
30	Dungarpur	8270101901	Govt. Sen. Sec. Sch. Jelana (224881)	IT-ITeS
31	Dungarpur	8270224301	Govt. Sen. Sec. Sch. Tadi Obri (484363)	Beauty & Wellness
32	Jaisalmer	8160203601	Govt. Sen. Sec. Sch. Badali Charanan (220486)	Tourism & Hospitality
33	Jaisalmer	8160200208	Govt. Sen. Sec. Sch. Barth Ka Gaon (220472)	Food Processing
34	Jaisalmer	8160305502	Govt. Sen. Sec. Sch. Mehron Ki Dhani (417820)	Tourism & Hospitality
35	Jaisalmer	8160207001	Govt. Sen. Sec. Sch. Kajoi Swami Ji Ki Dhani (469757)	Food Processing
36	Jodhpur	8150903101	Govt. Sen. Sec. Sch. Kalauna (219696)	Electronics & Hardware
37	Jodhpur	8150105901	Govt. Sen. Sec. Sch. Bungdi Bap Jodhpur (220129)	Plumber
38	Jodhpur	8151408301	Smt. Sugni Devi Pukh Raj Munot Gsss No.2 Pipar City	Retail
39	Jodhpur	8151309501	Govt. Sen. Sec. Sch. Jeriya (462384)	Electronics & Hardware

S.No	District	Udise Code	Name of School	Sector
40	Jodhpur	8151004501	Govt. Sen. Sec. Sch. Kajnau Kallan (220335)	Automotive
41	Jodhpur	8151004401	Govt. Sen. Sec. Sch. Chataliya Baori Jodhpur Rajasthan (481036)	IT-ITeS
42	Kota	8300107201	Govt. Sen. Sec. Sch. Ron (464340)	Electronics & Hardware
43	Kota	8300217308	Govt. Sen. Sec. Sch. Notara Maliyan (224492)	Electronics & Hardware
44	Kota	8300600413	Govt. Sen. Sec. Sch. Shrinath Puram C (466997)	Plumber
45	Kota	8300319303	Govt. Sen. Sec. Sch. Kasar (216637)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
46	Nagaur	8141110901	Govt. Sen. Sec. Sch. Sabalpur (220091)	Agriculture
47	Nagaur	8140100506	Govt. Sen. Sec. Sch. Antroli Kalan (219383)	Automotive
48	Nagaur	8140409801	Govt. Sen. Sec. Sch. Gram Panchayat Ke Pass Runija (219583)	IT-ITeS
49	Rajsamand	8250400114	Mahatma Gandhi Govt. Sch. Kelwara (222787)	Beauty & Wellness
50	Rajsamand	8250413901	Seth Champalal Sagarmal Kothari Govt. Sen. Sec. Sch. Gajpur (222826)	Tourism & Hospitality
51	Rajsamand	8250313601	Govt. Sen. Sec. Sch. Tikad (222782)	IT-ITeS
52	Rajsamand	8250306801	Govt. Sen. Sec. Sch. Jhor (222769)	Agriculture
53	Rajsamand	8250703019	Govt. Sen. Sec. Sch. Railmagra (222955)	Automotive
54	Rajsamand	8250709002	Mahatma Gandhi Govt. Sch. Gilund (214832)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
55	Rajsamand	8250512602	Ambalal Siroya Govt. Girls Sen. Sec. Sch. Delwara (222875)	Beauty & Wellness
56	Rajsamand	8250608305	Govt. Sen. Sec. Sch. Sapol (222924)	Tourism & Hospitality
57	Rajsamand	8250210705	Govt. Sen. Sec. Sch. Narana (222747)	IT-ITeS
58	Rajsamand	8250103803	Govt. Girls Sen. Sec. Sch. Kookra (408153)	Beauty & Wellness
59	Rajsamand	8250507410	Govt. Girls Sen. Sec. Sch. Khamnor (222851)	Beauty & Wellness
60	Sikar	8130906507	Govt. Sen. Sec. Sch. Shyalodra (219277)	Food Processing
61	Sikar	8130905802	Govt. Sen. Sec. Sch. Ramsinghpura (219294)	Food Processing
62	Sikar	8130304402	Sahid Vinod Kumar Naga Govt. Sen. Sec. Sch. Rampura Dhod (213258)	Food Processing
63	Sikar	8130304811	Govt. Sen. Sec. Sch. Nagwa (213261)	Food Processing
64	Sikar	8130306203	Govt. Sen. Sec. Sch. Sihot Bari (213266)	IT-ITeS

S.No	District	Udise Code	Name of School	Sector
65	Sikar	8130307901	Shaheed Puranmal Govt. Sen. Sec. Sch. Sanwaloda Dhayalan (213275)	IT-ITeS
66	Sikar	8130304004	Govt. Sen. Sec. Sch. Mandawara (213255)	Automotive
67	Sikar	8130302809	Shahid Harji Ram Kaler Govt. Sen. Sec. Sch. Badalwas (213250)	IT-ITeS
68	Sikar	8130307601	Shaheed Chandan Singh Govt. Sen. Sec. Sch. Churoli Khakholi (213274)	IT-ITeS
69	Sirohi	8190207101	Govt. Sen. Sec. Sch. Chandrawati (225217)	Electronics & Hardware
70	Sirohi	8190200502	Govt. Sen. Sec. Sch. Nichalagarh (213878)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
71	Banswara	8281009301	Govt. Sen. Sec. Sch. Laxmangarh Jhari (225315)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
72	S. Madhopur	8100604101	Govt. Sen. Sec. Sch. Kawad (217953)	Food Processing
73	S. Madhopur	8100422001	Govt. Sen. Sec. Sch. Khandewala (217891)	Tourism & Hospitality
74	S. Madhopur	8100500101	Govt. Sen. Sec. Sch. Jatwara Kalan (217895)	Tourism & Hospitality
75	S. Madhopur	8100112801	Govt. Sen. Sec. Sch. Chandanholi (212756)	Tourism & Hospitality
76	S. Madhopur	8100214001	Govt. Sen. Sec. Sch. Bahter (212817)	Food Processing
77	S. Madhopur	8100209202	Govt. Girls Sen. Sec. Sch. Malarna Chaur (212804)	Beauty & Wellness
78	Alwar	8060613002	Govt. Sen. Sec. Sch. Luhadera (215095)	Food Processing
79	Alwar	8060616301	Govt. Sen. Sec. Sch. Gahankar (215107)	Automotive
80	Alwar	8061009101	Govt. Sen. Sec. Sch. Chandpuri (216418)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
81	Barmer	8170109301	Govt. Sen. Sec. Sch. Undu (213543)	Automotive
82	Barmer	8171501101	Maloo Govt. Sen. Sec. Sch. Ramsar (220837)	Plumber
83	Ajmer	8210102231	Shree L B G G Sr Sec Roopangarh Ggsss Roopangarh	Agriculture

S.No	District	Udise Code	Name of School	Sector
84	Ajmer	8210611801	Govt. Sen. Sec. Sch. Baral-2 Masuda (221742)	Retail
85	Karauli	8090600902	Gsss Bahadurpur	Plumber
86	Karauli	8090607503	Govt. Sen. Sec. Sch. Barula (485593)	Beauty & Wellness
87	Karauli	8090200301	Govt. Sen. Sec. Sch. Palanpur (212492)	Beauty & Wellness
88	Karauli	8090101301	Govt. Sen. Sec. Sch. Rampur Dhawai (212437)	Beauty & Wellness
89	Karauli	8090202101	Govt. Sen. Sec. Sch. Banki (212510)	Automotive
90	Karauli	8090212502	Govt. Sen. Sec. Sch. Mukandpura (212550)	Electronics & Hardware
91	Jhalawar	8320209901	Govt. Sen. Sec. Sch. Manakpur Piplod (217745)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
92	Jhalawar	8320529202	Govt. Girls Sen. Sec. Sch. Pirawa (224674)	Apparel Made-ups & Home Furnishings
93	Jhalawar	8320404907	Govt. Sen. Sec. Sch. Reechhwa (224581)	Automotive
94	Jhalawar	8320217901	Govt. Sen. Sec. Sch. Singhaniya (217755)	IT-ITeS
95	Jhalawar	8320117020	Govt. Sen. Sec. Sch. Sarola Kalan (217726)	Beauty & Wellness
96	Udaipur	8260605401	Govt. Sen. Sec. Sch. Bedadhar (225238)	Agriculture
97	Udaipur	8260603901	Govt. Sen. Sec. Sch. Mamer (223331)	Electronics & Hardware
98	Udaipur	8260604702	Govt. Sen. Sec. Sch. Mahad (223333)	Tourism & Hospitality
99	Udaipur	8261100306	Govt. Sen. Sec. Sch. Devaliya (223581)	IT-ITeS
100	Pratapgarh	8331116601	Govt. Sen. Sec. Sch. Gothada (224781)	IT-ITeS